

अधिसूचना

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 01/स्था-01/2020-397 दिनांक 16.03.20 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने एवं बचाव हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय मुख्यालय तथा अंगीभूत कॉलेजों के सभी शिक्षकों के लिए दिनांक 31.03.2020 तक अवकाश रहेगा जिसको ग्रीष्मावकाश में सामंजित किया जायेगा ।


विश्वविद्यालय मुख्यालय तथा सभी पी0 जी0 विभाग/अंगीभूत/सम्बद्ध कॉलेजों के सभी पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मी कार्य पर पूर्व की भाँति उपस्थित रहेंगे । साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था कार्य स्थल पर सुनिश्चित करेंगे ।

कुलपति महोदया के आदेशानुसार
ह0/-
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा
दिनांक 21/3/2020

ज्ञापांक KU/R/318/2020

प्रतिलिपि :

1. प्राचार्य/प्र0 प्राचार्य सभी अंगीभूत/सम्बद्ध कॉलेजों के सूचनार्थ ।
2. को0 वि0 के सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
3. को0 वि0 के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ ।
4. कुलपति/प्रतिकुलपति के सहायकों को उनके सूचनार्थ ।
5. संचिका में


कुलसचिव 21.3.20
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

